

बिहार सरकार

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

पटना, दिनांक **अप्रैल, 2017**

संख्या-2/पी01-20-01/2016 गृ0आ0 /बिहार पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तंभ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री फरोगुद्दीन	पुलिस महानिरीक्षक के सहायक, सैन्य पुलिस, बिहार, पटना	समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-10, पटना, अतिरिक्त प्रभार, समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस-14, पटना।
2.	श्री शैलेश कुमार सिन्हा	अपर पुलिस अधीक्षक, सुपौल	अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना
3.	श्री विनोद कुमार-2	पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना	पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), सुपौल

Cr. Misc. case no. 52242/2013 में दिनांक-10.03.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में गठित एस०आई०टी० में श्री शैलेश कुमार सिन्हा, को रखे जाने के कारण इनको अन्य कोई कार्यभार नहीं दिया जायेगा तथा इन्हें न्यायालय के अनुमति के बिना अपने पद से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(देव नारायण मंडल)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञांपाक- 2/पी01-20-01/2016 गृ0आ0

पटना, दिनांक **अप्रैल, 2017**

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञांपाक- 2/पी01-20-01/2016 गृ0आ0 **3266**

पटना, दिनांक **20 अप्रैल, 2017**

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ अपर पुलिस महानिदेशक (मु०), बिहार, पटना/संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित पुलिस अधीक्षक/अपर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/आई०टी० प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना /संबंधित सभी पदाधिकारियों एवं प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-1 एवं 5 गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, बिहार पटना से अनुरोध है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारियों का गत्यादेश तुरंत निर्गत करने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव